"समावेशी संसद: संसद की बदलती भूमिका और आवश्यकताओं के अनुरूप पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विकास में सहायक के रूप में अध्यक्ष की भूमिका" विषय पर भाषण, 25वां सीएसपीओसी, कनाडा, 6-10 जनवरी 2020.

माननीय सभापति और गण्यमान्य प्रतिनिधिगण

- आज यहाँ राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के गण्यमान्य अध्यक्षों को संबोधित करना मेरे लिए बहुत सम्मान और प्रसन्नता की बात है। हम लोकतंत्र और भागीदारी के संरक्षक हैं। हमें शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है और संसदीय लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना और सबका प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत हद तक हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है।
- यह सही ही कहा गया है कि किसी देश का भविष्य संसद से ही तय होता है। इसलिए संसदों के लिए भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने या भविष्य की तैयारी करने के कई अर्थ हो सकते हैं। इसका अर्थ है अपनी देश की विशिष्ट परम्पराओं को कायम रखते हुए तेजी से बदल रहे समाज और वैश्विक प्रणाली के दबाव का सामना करना। इसका अर्थ है अपनी खुद की प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करने के लिए तैयार रहना तािक इन्हें बदलते समय के अनुरूप ढाला जा सके। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली पहलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय सिक्रय रूप से देश के भविष्य के बारे में दीर्घकालिक नीितयों पर विचार करना।
- मेरे देश भारत में हालांकि नियम और विनियम हमारी संसद की सभाओं द्वारा बनाए जाते हैं, किन्तु उनकी सही व्याख्या और समुचित कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी पूरी तरह अध्यक्ष और सभापति, जैसा भी मामला हो, की होती है। अध्यक्ष केवल नियमों को लागू ही नहीं करता बल्कि अपनी दूरदर्शी सलाह, निपुणता और समझदारी से यह सुनिश्चित करता है कि सभा के सभी वर्गों की बात खुले मन से सुनी जाए।
- सभा में विचार-विमर्श के दौरान जब भी कोई परिस्थित उत्पन्न होती है या व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो अध्यक्ष क़ानूनों की व्याख्या करते हैं, पूर्व उदाहरणों और निर्णयों का अध्ययन करते हैं तथा संविधान के उपबंधों, सुस्थापित संसदीय पद्धतियों, परम्पराओं, परिपाटियों और पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रखते हुए निदेश और निर्णय देते हैं। कई बार अध्यक्ष को अपने विवेक से निर्णय लेने पड़ते हैं। अध्यक्ष के निर्णय उस समय सभा की भावना को प्रतिबिम्बत करते हैं।

- विगत वर्षों में हमारी संसद के काम-काज में एक के बाद एक आने वाले अध्यक्षों ने ऐसे कई नियम, विनियम और निदेश दिए हैं जिन्होंने हमारी संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझ से पहले इस पद पर आसीन अध्यक्षों द्वारा ऐसे कई निर्णय दिए गए हैं जो न केवल सभा के संचालन में बिल्क देश में अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाओं के कार्यकरण में दूरगामी महत्व के निर्णय रहे हैं। जब उन्होंने लोक सभा की अध्यक्षता की तो देश ने संस्था के निर्माता के रूप में उनके असाधारण गुणों को देखा।
- इस संदर्भ में बिलकुल अलग नज़िरये से देखते हुए मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र अथवा इसकी संस्थाओं को मजबूत बनाने के हमारे प्रयासों में सभा में लोक महत्व के मामले उठाने की ज़िम्मेदारी निभाने वाले जन प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए उनकी मांग को पूरा करने के लिए और सभा की बदलती भूमिका और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं वर्तमान अर्थात सत्रहवीं लोक सभा के मौजूदा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में प्रक्रिया संबंधी बदलाव लाने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ।
- नई लोक सभा के अब तक आयोजित दो सत्रों के दौरान अधिकाधिक सदस्यों को सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया गया और इस प्रकार अनेक युवा सदस्य और लोक सभा में केवल एक सदस्य वाले राजनीतिक दल इससे लाभान्वित हुए हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सत्रों के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 2000 से भी अधिक मामले उठाए जा चुके हैं।
- इसी तरह, अपने सदस्यों के क्षमता निर्माण की दिशा में एक और पहल के रूप में हाल ही में सभा के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने की परंपरा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सभा के समक्ष लाए गए विधायी मुद्दों के बारे में सदस्यों की जागरूकता को बढ़ावा देना और इस प्रकार सार्थक चर्चा और वाद-विवाद सुनिश्चित करना है।
- अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि अपनी संसद को अधिक समावेशी और लोकतान्त्रिक बनाने के हमारे प्रयासों में हम अपने राष्ट्रपिता के इस कथन में विश्वास रखते हैं और इसका पूर्णतया पालन करते हैं कि 'सभ्यता अलग-अलग विचारधाराओं से आगे बढ़ती है'। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि प्रगति करने और आगे बढ़ने का यही मार्ग है।